प्रैस विज्ञप्ति

दिनांक-27.07.2021

37.2 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 04 लाख रुपये) व 02 लग्जरी गाडी एवं अवैध असलहा सहित 02 तस्कर थाना अरनिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार एवं प्रभारी निरीक्षक थाना अरनिया श्री ध्रुव भूषण दूबे के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.07.2021 को प्रातः थाना अरनिया पुलिस टीम पहावटी बॉर्डर पर तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियो की चैकिंग मे मामूर थी कि उसी समय गभाना टोल की तरफ से संदिग्ध एक स्विफ्ट वीडीआई व एक सलारियो गाडी आती हुई दिखायी दी, जिनको पुलिस टीम द्वारा रुकवाकर दोनों गाडी चालकों को समय करीब प्रातः 10.45 बजे हिरासत मे लेकर गाडियों को चैक किया गया तो गाडियों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा 37.2 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 04 लाख रुपये), बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- मुकेश गुप्ता पुत्र शिवस्वरुप निवासी पता-1 सीबीगंज बरेली, पता-2 आरसी 141 गली नं0 5 खोडा कॉलोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद, पता-3 ममूरा सेक्टर 66 थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।**(भिन्न-भिन्न जगह किराये पर रहता है)**

2- शिव सिंह दोहरे पुत्र विष्णु दयाल निवासी पता-1 मौहल्ला हरिगंज बाजार कस्बा व थाना अछलदा जनपद औरैया, पता-2 ग्राम जोगपुरा थाना सिकन्द्रा जनपद आगरा, पता-3 ग्राम बहलोनपुर सेक्टर 65 थाना सेक्टर-58 गौतमबुद्धनगर।**(भिन्न-भिन्न जगह किराये पर रहता है)**

बरामदगी-

1- 37.2 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 04 लाख रुपये)

2- 01 स्विफ्ट वीडीआई कार नं0- डीएल-2 सीएएस-7390

3- 01 सलैरियों कार नं0-यूपी-16 जीटी-7471

4- 03 मोबाइल फोन

5- एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व एक चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश गुप्ता शातिर किस्म का अपराधी/मादक पदार्थ तस्कर है जिसके द्वारा अपने साथी शिव सिंह के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी कर जनपद गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर सहित अन्य स्थानों पर मादक पदार्थ(गांजा) को अधिक कीमत पर बिक्री कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध विभिन्न थानों पर निम्न अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त मुकेश का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 682/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद

2- मु0अ0सं0- 877/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद

3- मु0अ0सं0- 1040/19 धारा 8/20/27/52 एनडीपीएस अधि0 थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद

4- मु0अ0सं0- 1041/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद

5- मु0अ0सं0- 1587/19 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि0 थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद

6- मु0अ0सं0- 1588/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद

7- मु0अ0सं0- 1097/17 धारा 147/323/325/308 भादवि थाना फेस 3, जनपद गौतमबुद्धनगर

8- मु0अ0सं0 1188/18 धारा 302 भादवि थाना फेस 3, जनपद गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अरनिया पर मु0अ0सं0-266 व 267/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मुअसं-268/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं मुअसं- 269/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1. श्री ध्रुव भूषण दूबे प्रभारी निरीक्षक अरनिया
2. उ0नि0 रामेश्वर दयाल शर्मा, उ0नि0 विजय कुमार राठी
3. है0का0 अशोक कुमार, है0का0 वेद प्रकाश, का0 दिलीप कुमार, का0 गौरव कुमार, का0 सोनू सिद्दीकी, रिक्रूट का0 मंजीत कुमार, का0 चालक संदीप कुमार